बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1/PMC/बैठक/10/2022-103 पटना, दिनांक 03/02/2022

संयुक्तादेश

दिनांक–25.01.2023 को विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में नहर एवं नदी तटबंध के चाट भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सम्पन्न बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर लिए गए निर्णय के आलोक में वृक्षारोपण की प्रक्रिया तय करने हेतु प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति बनी :–

1. संबंधित जिले के DFO तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता को नामित करते हुए एक टीम का गठन किया जायेगा। उक्त टीम जिले में अवस्थित नहर तथा नदी के चाट लैण्ड जिसपर वृक्षारोपण किया जा सकता है, का संयुक्त सर्वेक्षण कर नदी तथा नहर के तटबंधवार वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध भूमि अनुसार वृक्षारोपण हेतु संलग्न प्रपत्र में विवरण तैयार करेंगे।
2. नहर एवं नदी तटबंधों के ऊपर तथा रिवर साइड एवं कंट्री साइड स्लोप पर वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा।
3. नहर के बाहरी स्लोप का निचला भाग जहाँ समतल जमीन से मिलता है वहाँ से 3 फीट से 4 फीट की दूरी छोड़कर चाट लैंड पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण हरेक 50 मीटर की लंबाई में करने के पश्चात् 10 मीटर का गैप आवागमन सुविधा हेतु दिया जाना आवश्यक होगा।
4. नदी तटबंध के कंट्री साईड स्लोप में Toe (टो) से 20 फीट की दूरी तथा रीमर साईड स्लोप में 10 फीट तक की दूरी को वृक्षारोपण से मुक्त रखा जायेगा।
5. वृक्षारोपण हेतु ऐसी प्रजाति के पौधों का चयन किया जायेगा जिसकी परिपक्वता अवधि कम हो एवं जिसके जड़ों का फैलाव ज्यादा नहीं हो, जैसे शीशम, गम्हार, सागवान, सेमल, कदम्ब, करंज, आँवला, सहजन, बाँस, बबूल, यूकेलिप्टस, बैर, अर्जुन एवं जामुन आदि।
6. नदी तटबंध के रीवर साइड में आवश्यकतानुसार बाँस लगाये जाये जिससे कटाव में कमी आयेगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता इसका प्रस्ताव DFO को देंगे तथा DFO इसका कार्यान्वयन करेंगे।
7. पूर्व में अधिसूचित सुरक्षित वन को छोड़कर नदी/नहर तटबंध के चाट लैंड में किये गये वृक्षारोपण स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा एवं भविष्य में किसी पेड़ या पेड़ों के कारण नदी तटबंध अथवा नहर के पुनर्स्थापन/अनुरक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हो तो वैसी स्थिति में पर्यावरण एवं वन विभाग को इसकी सूचना देकर आवश्यकतानुसार उन पेड़ों को हटाकर इस प्रकार का कार्य कराया जायेगा एवं काटे गये पेड़ वन विभाग को सौंप दिये जायेगे।
8. वृक्षारोपण के लेखा का संधारण एवं रख रखाव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

नदी एवं नहर तटबंध के चाट भूमि पर वृक्षारोपण हेतु संयुक्त सर्वे

1. वन प्रमंडल का नामः–.....बाढ/सिंचाई प्रमंडल का नामः–.....
2. वन प्रक्षेत्र का नामः–.....जिला का नामः–.....
3. नहर/नदी का नामः–.....
4. स्थल का नाम (कहाँ से कहाँ तक):–.....से.....
   तक (विस्तृत विवरण संलग्न)
5. RD (कहाँ से कहाँ तक):–.....RD से .....RD तक
6. GPS(प्रारंभिक बिंदु).....GPS(अंतिम बिंदु).....
7. लंबाई (कि.मी. में):–.....
8. चाट–लैण्ड की औसत चौड़ाई (मी0 में):–.....मीटर
9. जल–जमाव भाग की लम्बाईः–.....कि.मी.
10. मृदा का प्रकार (चिन्ह लगाये):– हार्ड/सार्फ्ट
11. वृक्षारोपण हेतु आंकलित स्तूप/पीट की सं0:–.....

क्रम. सं.	स्तूप/पीट का आकार	संख्या (बॉया साईड)	(दायॉ साईड)
1.	स्तूप 1.80m x 0.6m x 0.60 (S)		
2.	स्तूप 2.10m x 0.75m x 0.60 (M)		
3.	स्तूप 2.60m x 1.00m x 0.60 (L)		
4.	पिट 0.30m x 0.30m x 0.30 (S)		
5.	पिट 0.45m x 0.45m x 0.45 (L)		
कुल पौधों की संख्याः–			

12. पौधों की उपयुक्त प्रजाति :–

13. सर्वेक्षण की तिथि :–.....

ह0..... ह0.....

पदाधिकारी का नामः–..... पदाधिकारी का नामः–.....

पदनामः–..... पदनामः–.....

नदी एवं नहर तटबध के चाट भूमि पर वृक्षारोपण हेतु संयुक्त सर्वे– विस्तृत विवरण

वन प्रमंडल का नामः–.....बाढ़/सिंचाई प्रमंडल का नाम.....

नहर/नदी तटबंध का नाम :–.....

क्रम सं०	स्थल का नाम		R.D.		GPS		नहर का साईड (बायॉ/दायॉ) River Side/Country Side	चाट लैण्ड की औसत चौडाई	स्तूप की संख्या			पीट की संख्या		पौधों की कुल संख्या
	कहाँ से	कहाँ तक	कहाँ से	कहाँ तक	प्रारंभ	अंत			S	M	L	S	L	

हस्ताक्षर–

नाम–

हस्ताक्षर–

नाम–